छत्तीसगढ़ का 10 हजार करोड़ से अधिक का डी.एम.एफ. घोटाला पुरे देश में सबसे अधिक डी.एम.एफ. में आय वाला जिला कोरबा एवं दंतेवाड़ा है डी.एम.एफ. के साथ साथ सी.एस.आर. मद का भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी भी जांच की आवश्यकता है। जहां भ्रष्टाचार करने के लिये कलेक्टर पैसा देकर अपनी पोस्टिंग कराते हैं जबसे डी.एम.एफ. की शुरूआत हुई है तब से आज तक का कोरबा दंतेवाड़ा एवं छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों की जांच सी.बी.आई./ई.डी. के माध्यम से कराये जाने का शिकायत पत्र मेरे द्वारा पूर्व में समय समय पर शासन प्रशासन एवं केन्द्र सरकार को अवगत कराता रहा हूं तत्कालीन समय दिसम्बर माह में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी, केन्द्रीय कोयला एवं खान जी किशन रेड्डी जी मंत्री सी.बी.आई. प्रमुख, ई.डी. प्रमुख को शिकायत पत्र देकर इस बड़े घोटाला की जांच केन्द्रीय ऐजेंसी से कराये जाने हेतु निवेदन किया हूं मेरे द्वारा पूर्व में भी केन्द्र एवं राज्य सरकार को अनेको भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत पत्र दिया था जिसको केन्द्र की मोदी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की है जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ पी.एस.सी. घोटाला, कोयले में अवैध वसूली, शराब में अवैध वसूली, एवं महादेव ऐप के माध्यम से पैसे की अफरा तफरी जिसमें अनेको सफेद पोश नेता कर्मचारी व अधिकारी सम्मिलित थे जिसकी जांच आज भी सी.बी.आई. एवं ईडी के द्वारा जारी जिसमें कई सफेद पोश नेता आईएस अधिकारी एवं कर्मचारी जेल की हवा खा रहे है।

डी.एम.एफ. का उद्देश्य खान प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ देने व उनको सुविधा जैसे कि – रोड रास्ता, स्वच्छ पानी, ईलाज हेतु अस्पताल, पढ़ने हेतु स्कूल, आवागमन के साधन, प्रदूषण से बचने के उपाय, इत्यादि मदो पर डी.एम.एफ. की राशि के खर्च करने का प्रावधान एवं नियम शर्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित किये गये हैं उसके बाद भी केन्द्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से सभी कलेक्टरों के द्वारा डी.एम.एफ. एवं सी.एस.आर. राशि में भारी भ्रष्टाचार किया गया है जो कि प्रमाणित है।

उदाहरण के तौर पर वर्तमान में कोरबा कलेक्टर श्री अजीत बसंत के द्वारा डी.एम.एफ. की राशि दुरूपयोग करते हुए लगभग 80 करोड़ का कार्य सोनालिया पुल कोरबा में अण्डरब्रीज का कार्य कराया जा रहा है जो कि डी.एम.एफ. में दिये गये निर्देशों

के विरूद्ध है डी.एम.एफ. दिये गये निर्देशो के अनुसार सोनालिया पुल में अण्डरब्रीज के कार्य डी.एम.एफ. की राशि से नही किया जा सकता भ्रष्टाचार करने के लिये यह कार्य किया जा रहा है।

कोरबा कलेक्टर के द्वारा डी.एम.एफ. की राशि सी.पेड रायपुर को दिनांक 18.09.2018 को 25 करोड़ रूपये हस्तांतरित करने की बात कही गई है यहां यह बताना आवश्यक है कि डी.एम.एफ. की राशि का हस्तांतरण किसी अन्य जिले में अन्य कार्य के लिये किया जा सकता परंतु तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा अपने पदका दुरूपयोग करते हुए कमिशनखोरी की नियत से 25 करोड़ सिपेट को दिया जाना बताया गया है परंतु दिनांक 20.11.2024 को सिपेट से सूचना के अधिकार में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक सिपेट रायपुर को डी.एम.एफ. कोरबा से कोई राशि प्राप्त नही हुई है।

तत्कालीन कलेक्टर कोरबा श्री संजीव कुमार झा के द्वारा अपने कार्यकाल में डी.एम.एफ. एवं सी.एस.आर. मद में केन्द्र एवं राज्य शासन की निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर कई सौ करोड़ का घोटाला किया गया है। दिनांक 01.07.2022 से 31.07.2023 तक इनका कार्यकाल वर्ष 2022–23 व 2023–24 में जिला खनिज संस्थान न्यास में शासि परिषद की बैठक में अनुमोदित कार्य के विरूद्ध जाकर कमिशनखोरी (भ्रष्टाचार) करने के लिए अपने मनमर्जी से कार्य स्वीकृत कर सामग्री सप्लाई, प्रशिक्षण, स्ट्रीट लाईट, महिला समितियों को प्राप्त सामग्री, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग, की स्तरहीन निर्माण एवं स्तरहीन सप्लाई बाजार दर से अधिक दर पर कार्य किया गया है। वह लगभग 500 करोड़ से उपर का भ्रष्टाचार है जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी, कोयली मंत्री रेड्डी साहब, सी.बी.आई एवं ईडी जांच की मांग की गई है।

कोरबा जिले के अंतर्गत एस.ई.सी.एल. की विभिन्न खदानें है जैसे कि दीपिका, कुसमंदा, गेवरा एवं अन्य जगहों पर जमीन मालिकों की जमीन एस.ई.सी.एल. के द्वारा अधिग्रहित की गई है परंतु जमीन मालिकों को मुआवजा व्यवस्थापन व नौकरी आज

तक नही दिया गया है जिसको लेकर भू–विस्थापित लोग कई वर्षों से न्यायालय शासन प्रशासन, के चक्कर लगा रहे है। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री, कोयला मंत्री से मिलकर समस्या का हल करने हेतु पत्र दिया गया है माननीय कोयला मंत्री जी के द्वारा इस संबंध में आश्वासन भी दिया गया कि भूविस्थापितो की समस्या का हल जल्द ही होगा। आल इंडिया एवं एस.ई.सी.एल. के बोर्ड ने तय किया है कि कोल ट्रांसपोर्टिंग ओव्हर बर्डन ट्रांसपोर्टिंग का 20 प्रतिशत कार्य भूविस्थापितो को करने हेतु दिया जायेगा जिसका पालन नहीं हो रहा है।

केन्द्र के मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की चिंता करते हुए उनका जीवन स्तर उंचा उठाने की नियत से ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को लोन दिलाकर सशक्त बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्‌देश्य था जिसको कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजीत बसंत एवं वहां के शासन प्रशासन के लोग फ्लोरा मैक्स कंपनी व फायनेंस करने वाले बैंकों से सांठगांठ कर दो अरब से अधिक का भ्रष्टाचार किये है जिसमें लगभग 40 हजार महिलाएं कोरबा जिले से प्रभावित है और यह कार्य छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़, जांजगीरचाम्पा, महासमुंद बिलासपुर, एवं अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों में भी धड़ल्ले से चल रहा है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, केन्द्रीय गृहमंत्री जी, कोयला एवं खान मंत्री, सीबीआई, ईडी, को कार्यवाही हेतु किया गया है।

मेरे द्वारा फ्लोरा मैक्स कंपनी कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजीत बसंत वहां की फायनेंस करने वाली बैंके सभी मिलकर आदिवासी महिलाओं के साथ फर्जी एवं धोखाधड़ी किये हैं इस संबंध में मेरे द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली भारत सरकार को कार्यवाही करने हेतु शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आदिवासी समुदाय के साथ हुए ठगी के मामले में दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से मुख्य सचिव अमिताभ जैन छ.ग. शासन, से इस मामले में जवाब देने हेतु 15 दिन का समय दिया हुआ है।

की राम कंवर
गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधासभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड; पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक: रामपुर/2024/516 दिनांक: 04/12/2024

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
RECEIVED ON
12/12/24

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री मोदी जी

विषय :- **छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले में डी.एम.एफ. में पूर्व सरकार के द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से लगभग 500हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक छ.ग. से परफार्मेन्स ऑडिट कराने एवं कार्यवाही करने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में प्रचुर मात्रा में मेजर एवं माईनर मिनरल की भरपुर मात्रा है जिसका दोहन कर काफी राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है राजस्व प्राप्ति के आधार पर जिन क्षेत्रों में मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन परिवहन, एवं व्यवस्थापन होता है वहां होने वाले प्रदूषण एवं वहां निवासरत आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा डी.एम.एफ. फण्ड के उपयोग हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे जिससे स्थानीय जनता को उसका लाभ मिल सके व डी.एम.एफ. राशि का कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके ऐसी मंशा से केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा नियम कानून बनाये गये थे।

छत्तीसगढ़ के समस्त जिले जहां मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन, परिवहन एवं व्यवस्थापन होता है ऐसे जगह में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची आज तक किसी भी कलेक्टर के द्वारा नही बनाई गई है जो कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रसारित किये गये नियमों के अनुसार जब तक प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची नहीं बनाई जाती तब तक यह तय नही किया जा सकता कि डी. एम.एफ. की राशि का खर्च कहां करना है। क्योंकि डी.एम.एफ. राशि का खर्च प्रत्यक्ष

की राम कंवर
गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
12 DEC 2024
RECEIVED

क्रमांक ...रा.म.पु.द./2024/517 दिनांक : 04/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री ...शाह जी...

विषय :— **छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले में डी.एम.एफ. में पूर्व सरकार के द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से लगभग 500हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक छ.ग. से परफार्मेन्स ऑडिट कराने एवं कार्यवाही करने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में प्रचुर मात्रा में मेजर एवं माईनर मिनरल की भरपुर मात्रा है जिसका दोहन कर काफी राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है राजरव प्राप्ति के आधार पर जिन क्षेत्रों में मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन परिवहन, एवं व्यवस्थापन होता है वहां होने वाले प्रदूषण एवं वहां निवासरत आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा डी.एम.एफ. फण्ड के उपयोग हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे जिससे स्थानीय जनता को उसका लाभ मिल सके व डी.एम.एफ. राशि का कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके ऐसी मंशा से केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा नियम कानून बनाये गये थे।

छत्तीसगढ़ के समस्त जिले जहां मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन, परिवहन एवं व्यवस्थापन होता है ऐसे जगह में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची आज तक किसी भी कलेक्टर के द्वारा नही बनाई गई है जो कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रसारित किये गये नियमों के अनुसार जब तक प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची नहीं बनाई जाती तब तक यह तय नही किया जा सकता कि डी. एम.एफ. की राशि का खर्च कहां करना है। क्योंकि डी.एम.एफ. राशि का खर्च प्रत्यक्ष

की राम कंवर
गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधासभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड; पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक: रामपुर/2024/518.

दिनांक: 04/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री रेड्डी साहब

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले में डी.एम.एफ. में पूर्व सरकार के द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से लगभग 500हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक छ.ग. से परफार्मेन्स ऑडिट कराने एवं कार्यवाही करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में प्रचुर मात्रा में मेजर एवं माईनर मिनरल की भरपुर मात्रा है जिसका दोहन कर काफी राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है राजस्व प्राप्ति के आधार पर जिन क्षेत्रों में मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन परिवहन, एवं व्यवस्थापन होता है वहां होने वाले प्रदूषण एवं वहां निवासरत आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा डी.एम.एफ. फण्ड के उपयोग हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे जिससे स्थानीय जनता को उसका लाभ मिल सके व डी.एम.एफ. राशि का कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके ऐसी मंशा से केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा नियम कानून बनाये गये थे।

छत्तीसगढ़ के समस्त जिले जहां मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन, परिवहन एवं व्यवस्थापन होता है ऐसे जगह में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची आज तक किसी भी कलेक्टर के द्वारा नही बनाई गई है जो कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रसारित किये गये नियमों के अनुसार जब तक प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची नहीं बनाई जाती तब तक यह तय नही किया जा सकता कि डी.एम.एफ. की राशि का खर्च कहां करना है। क्योंकि डी.एम.एफ. राशि का खर्च प्रत्यक्ष

Office of the
Minister of Coal & Mines
Government of India
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

10.12.24

की राम कंवर

गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास –
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर – 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक रामपुर/2024/520 **दिनांक :** 04/12/2024

प्रति,

श्री नवीन साहब

विषय :– **छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले में डी.एम.एफ. में पूर्व सरकार के द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से लगभग 500हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक छ.ग. से परफार्मेन्स ऑडिट कराने एवं कार्यवाही करने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में प्रचुर मात्रा में मेजर एवं माईनर मिनरल की भरपुर मात्रा है जिसका दोहन कर काफी राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है राजस्व प्राप्ति के आधार पर जिन क्षेत्रों में मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन परिवहन, एवं व्यवस्थापन होता है वहां होने वाले प्रदूषण एवं वहां निवासरत आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा डी.एम.एफ. फण्ड के उपयोग हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे जिससे स्थानीय जनता को उसका लाभ मिल सके व डी.एम.एफ. राशि का कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके ऐसी मंशा से केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा नियम कानून बनाये गये थे।

छत्तीसगढ़ के समस्त जिले जहां मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन, परिवहन एवं व्यवस्थापन होता है ऐसे जगह में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची आज तक किसी भी कलेक्टर के द्वारा नही बनाई गई है जो कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रसारित किये गये नियमों के अनुसार जब तक प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची नहीं बनाई जाती तब तक यह तय नही किया जा सकता कि डी.एम.एफ. की राशि का खर्च कहां करना है। क्योंकि डी.एम.एफ. राशि का खर्च प्रत्यक्ष

की राम कंवर
गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
भनवारपारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक...रा.म.पु.क/2024/519 दिनांक : 04/12/2024

प्रति,

श्री [illegible]

विषय :— **छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले में डी.एम.एफ. में पूर्व सरकार के द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से लगभग 500हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक छ.ग. से परफार्मेन्स ऑडिट कराने एवं कार्यवाही करने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में प्रचुर मात्रा में मेजर एवं माईनर मिनरल की भरपुर मात्रा है जिसका दोहन कर काफी राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है राजस्व प्राप्ति के आधार पर जिन क्षेत्रों में मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन परिवहन, एवं व्यवस्थापन होता है वहां होने वाले प्रदूषण एवं वहां निवासरत आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा डी.एम.एफ. फण्ड के उपयोग हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे जिससे स्थानीय जनता को उसका लाभ मिल सके व डी.एम.एफ. राशि का कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके ऐसी मंशा से केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा नियम कानून बनाये गये थे।

छत्तीसगढ़ के समस्त जिले जहां मेजर एवं माईनर मिनरल का उत्खनन, परिवहन एवं व्यवस्थापन होता है ऐसे जगह में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची आज तक किसी भी कलेक्टर के द्वारा नही बनाई गई है जो कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रसारित किये गये नियमों के अनुसार जब तक प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित लोगों की सूची नहीं बनाई जाती तब तक यह तय नही किया जा सकता कि डी. एम.एफ. की राशि का खर्च कहां करना है। क्योंकि डी.एम.एफ. राशि का खर्च प्रत्यक्ष

ी राम कंवर

ृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक..रा.म.पु.C../2024/526. दिनांक : 04/12/2024.

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
RECEIVED ON
Date 12/12/24

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री ...मोदी जी..................

विषय :- **जिला कोरबा के दीपिका, कुसमंदा, गेवरा एवं अन्य के भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा, नौकरी एवं पुर्नवास देने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला जहां कोयले का उत्खनन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है जिसके कारण राज्य एवं केन्द्र सरकार को रायल्टी के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है यहां यह बताना उचित होगा की जितनी अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति केन्द्र एवं राज्य सरकार को होती है विभिन्न मेजर माईन्स एवं मिन्लर माईन्स के माध्यम से उसका एक प्रतिशत राशि भी इस क्षेत्र के विकास में खर्च नहीं होता है उल्टे यहां की जनता को प्रदूषण एवं गंभीर प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है जिसका उचित ईलाज क्षेत्र में प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत सारे गरीब परिवार एवं किसान व भू–विस्थापित लोगों की मौत हो जाती है।

काफी लंबे समय से उपरोक्त क्षेत्र के भू–विस्थापित लोगों के द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन केन्द्र सरकार, एवं विभिन्न माध्यमों से उचित मुआवजा नौकरी, एवं पुर्नवास देने के संबंध में लगातार सरकारी आफिसो व न्यायालयों के चक्कर लगा रहें हैं उसके बाद भी उन्हें न्याय नही मिल पाया है।

कोल बेरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि में मुआवजा देने हेतु कोई समय सीमा तय नही की गई है इस एक्ट में संशोधन कर समय सीमा तय किया जाना अति आवश्यक है। जिससे भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा, नौकरी, पुर्नवास समय पर दिया जा सके। इस हेतु उपरोक्त क्षेत्र के लोग 25 वर्ष से संघर्ष कर रहें है लेकिन आज तक उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हुआ। एस.ई.सी.एल. के द्वारा कोयला उत्खनन हेतु अधिग्रहित की गई

की राम कंवर

गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक.................... **दिनांक : ....**

भूमि जो वर्तमान में बचत भूमि (खाली भूमि) है उसे किसी निजी संस्थान को देने हेतु नियम में संशोधन किया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध है वह जमीन एस.ई.सी.एल. के द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु अधिग्रहित की गई थी जिसका उपयोग एस.ई.सी.एल. के द्वारा नही किया गया है वह भूमि खाली है उसे नियमानुसार जिन किसानों से अधिग्रहित किया गया है उन किसानों को वापस दिया जाना नियम में उल्लेख है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भू–विस्थापित 25 वर्ष से अपने उचित मुआवजा नौकरी एवं पुर्नवास हेतु लगातार संघर्ष कर रहें है वे राज्य एवं केन्द्र सरकार व न्यायालयों के चक्कर लगा–लगाकरे परेशान हो गये है भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा नौकरी, पुर्नवास देने से उनका अपने सरकार के प्रति आस्था एवं विश्वास रहेगा इस हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

(ननकी राम कंवर)

प्रति,

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधानमंत्री,
नई दिल्ली, भारत सरकार

...राम कंवर
...गृह, जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

Ministry of ...
12 DEC 2024
RECEIVING SECTION

क्रमांक रामपुर/2024/527 दिनांक : 04/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री शाह जी

विषय :– **जिला कोरबा के दीपिका, कुसमंदा, गेवरा एवं अन्य के भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा, नौकरी एवं पुर्नवास देने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला जहां कोयले का उत्खनन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है जिसके कारण राज्य एवं केन्द्र सरकार को रायल्टी के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है यहां यह बताना उचित होगा की जितनी अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति केन्द्र एवं राज्य सरकार को होती है विभिन्न मेजर माईन्स एवं मिन्लर माईन्स के माध्यम से उसका एक प्रतिशत राशि भी इस क्षेत्र के विकास में खर्च नहीं होता है उल्टे यहां की जनता को प्रदूषण एवं गंभीर प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है जिसका उचित ईलाज क्षेत्र में प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत सारे गरीब परिवार एवं किसान व भू–विस्थापित लोगों की मौत हो जाती है।

काफी लंबे समय से उपरोक्त क्षेत्र के भू–विस्थापित लोगों के द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन केन्द्र सरकार, एवं विभिन्न माध्यमों से उचित मुआवजा नौकरी, एवं पुर्नवास देने के संबंध में लगातार सरकारी आफिसो व न्यायालयों के चक्कर लगा रहें हैं उसके बाद भी उन्हें न्याय नही मिल पाया है।

कोल बेरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि में मुआवजा देने हेतु कोई समय सीमा तय नही की गई है इस एक्ट में संशोधन कर समय सीमा तय किया जाना अति आवश्यक है। जिससे भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा, नौकरी, पुर्नवास समय पर दिया जा सके। इस हेतु उपरोक्त क्षेत्र के लोग 25 वर्ष से संघर्ष कर रहें है लेकिन आज तक उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हुआ। एस.ई.सी.एल. के द्वारा कोयला उत्खनन हेतु अधिग्रहित की गई

...की राम कंवर

...गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला–कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर – 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक.................... दिनांक : ....

भूमि जो वर्तमान में बचत भूमि (खाली भूमि) है उसे किसी निजी संस्थान को देने हेतु नियम में संशोधन किया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध है वह जमीन एस.ई.सी.एल. के द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु अधिग्रहित की गई थी जिसका उपयोग एस.ई.सी.एल. के द्वारा नही किया गया है वह भूमि खाली है उसे नियमानुसार जिन किसानों से अधिग्रहित किया गया है उन किसानों को वापस दिया जाना नियम में उल्लेख है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भू–विस्थापित 25 वर्ष से अपने उचित मुआवजा नौकरी एवं पुर्नवास हेतु लगातार संघर्ष कर रहें है वे राज्य एवं केन्द्र सरकार व न्यायालयों के चक्कर लगा–लगाकर परेशान हो गये है भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा नौकरी, पुर्नवास देने से उनका अपने सरकार के प्रति आस्था एवं विश्वास रहेगा इस हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

सादर

(ननकी राम कंवर)

प्रति,

माननीय श्री अमित शाह जी,
केन्द्रीय एवं सहकारिता मंत्री
नई दिल्ली, भारत सरकार

...नी राम कंवर

...: जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक..रामपुर/2024/528

दिनांक : 04/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री रेड्डी साहब

विषय :— **जिला कोरबा के दीपिका, कुसमंदा, गेवरा एवं अन्य के भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा, नौकरी एवं पुर्नवास देने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला जहां कोयले का उत्खनन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है जिसके कारण राज्य एवं केन्द्र सरकार को रायल्टी के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है यहां यह बताना उचित होगा की जितनी अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति केन्द्र एवं राज्य सरकार को होती है विभिन्न मेजर माईन्स एवं मिन्लर माईन्स के माध्यम से उसका एक प्रतिशत राशि भी इस क्षेत्र के विकास में खर्च नहीं होता है उल्टे यहां की जनता को प्रदूषण एवं गंभीर प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है जिसका उचित ईलाज क्षेत्र में प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत सारे गरीब परिवार एवं किसान व भू–विस्थापित लोगों की मौत हो जाती है।

काफी लंबे समय से उपरोक्त क्षेत्र के भू–विस्थापित लोगों के द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन केन्द्र सरकार, एवं विभिन्न माध्यमों से उचित मुआवजा नौकरी, एवं पुर्नवास देने के संबंध में लगातार सरकारी आफिसो व न्यायालयों के चक्कर लगा रहें हैं उसके बाद भी उन्हें न्याय नही मिल पाया है।

कोल बेरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि में मुआवजा देने हेतु कोई समय सीमा तय नही की गई है इस एक्ट में संशोधन कर समय सीमा तय किया जाना अति आवश्यक है। जिससे भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा, नौकरी, पुर्नवास समय पर दिया जा सके। इस हेतु उपरोक्त क्षेत्र के लोग 25 वर्ष से संघर्ष कर रहें है लेकिन आज तक उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हुआ। एस.ई.सी.एल. के द्वारा कोयला उत्खनन हेतु अधिग्रहित की गई

10.12.24

Office of the
Minister of ... Mines
Government of India
...Bhawan, New Delhi-110001

राम कंवर

गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास –
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर – 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक..................... **दिनांक : ....**

भूमि जो वर्तमान में बचत भूमि (खाली भूमि) है उसे किसी निजी संस्थान को देने हेतु नियम में संशोधन किया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध है वह जमीन एस.ई.सी.एल. के द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु अधिग्रहित की गई थी जिसका उपयोग एस.ई.सी.एल. के द्वारा नही किया गया है वह भूमि खाली है उसे नियमानुसार जिन किसानों से अधिग्रहित किया गया है उन किसानों को वापस दिया जाना नियम में उल्लेख है। जमीन का उपयोग SECL बिना मुआवजा दिये कर रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भू–विस्थापित 25 वर्ष से अपने उचित मुआवजा नौकरी एवं पुर्नवास हेतु लगातार संघर्ष कर रहें है वे राज्य एवं केन्द्र सरकार व न्यायालयों के चक्कर लगा–लगाकर परेशान हो गये है भू–विस्थापितो को उचित मुआवजा नौकरी, पुर्नवास देने से उनका अपने सरकार के प्रति आस्था एवं विश्वास रहेगा इस हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

सादर

(ननकी राम कंवर)

प्रति,

माननीय श्री जी. किशन रेड्डी जी,
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री
नई दिल्ली, भारत सरकार

...एव सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
...सभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक..रामपुर/2024/609 दिनांक : 10/12/2024.

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
RECEIVED ON
Date 12/12/24

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री मोदी साहब,

विषयः- केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत के द्वारा विफल करने पर सम्बंधित फ़्लोरा मैक्स फ़र्ज़ी कंपनी एवं अन्य के विरुद्ध कार्यवाही क्योंकि यह अत्यंत गंभीर मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की चिंता करते हुए पुरे देश में ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को लोन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उन्हें ससक्त बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त योजना को पुरे देश में लागू किया गया है परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है । फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स से प्राप्त नगद राशि को फ़र्ज़ी कंपनियों के द्वारा महिलाओं को आश्वासन देकर ले लिया गया। उन्हें जो आश्वासन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है जिससे गरीब महिलाएं परेशान होकर दर दर भटक रही है। उनकी सुनवाई शासन प्रशासंन में कही नहीं हो रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा, रायगढ़, जांजगीर - चांपा, महासमुंद, बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन जिलों एवं देश के अन्य प्रदेशो में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है। इस कार्य में कोरबा जिले में फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड इसी प्रकार बहुत सारी निजी फाइनेंस कम्पनियाँ बिहान योजना से जुडी महिलाएं व अन्य महिलाएं जिन्हे एक महिला को अनेको फाइनेंस कंपनियों के द्वारा नगत लोन दिया गया है। इस योजना के माध्यम से पुरे प्रदेश में लगभग 10 लाख महिलाओं से उपरोक्त फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स ने ठगी की है।

भारत रिज़र्व बैंक के निर्देषा अनुसार जिसके निर्देश का पालन करना सभी बैंक एवं निजी फाइनेंस कंपनियों को आवश्यक है उन निर्देशों के विरुद्ध जाकर एवं अन्य बैंक व फाइनेंस कम्पनियाँ फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा रिज़र्व बैंक के नियमो के विरुद्ध जाकर नगद लोन व एक महिला को अनेको फाइनेंस कंपनियों एवं बैंको के द्वारा नगद लोन दिया गया है जो की नियम विरुद्ध एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। नगद लोन देने का प्रावधान नहीं है।

व सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
सभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक.................... दिनांक : ....

नियम यह है कि एक व्यक्ति को एक ही फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन प्राप्त होता है जब तक वह व्यक्ति अपने लोन की पूरी राशि देने के बाद ही अन्य बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों से लोन प्राप्त कर सकता है परन्तु उपरोक्त फाइनेंस कंपनी एवं बैंकर्स के द्वारा भ्रष्टाचार कर के एक ही व्यक्ति को अनेको बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के द्वारा लोन दिया गया है।

कोरबा जिले के अंतर्गत कार्य करने वाली फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा शासन प्रशासन एवं वहाँ के लोगो से मिल कर भ्रष्टाचार, ठगी एवं लूट करने की नियत से कोरबा जिला आदिवासी जिले के अंतर्गत आता है यहाँ अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य वर्ग की महिलाएं जो की कम पढ़ी लिखी होती है जिन्हे ज्यादा जानकारी नहीं होती है उसका फायदा उठाते हुए उपरोक्त लोगो के द्वारा यह भ्रष्टाचार लूट एवं ठगी किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत जिले के लिए लोकल LIV होती है जो जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जिले में होने वाले सभी कार्यकलाप की जानकारी प्रदान करता है। कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत को इस भ्रष्टाचार ठगी एवं लूट की जानकारी थी उसके बाद भी इनके द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है की कलेक्टर कोरबा श्री अजीत बसंत की सांठ गाँठ उपरोक्त फ़र्ज़ी कंपनियों के साथ थी।

कोरबा जिले में करीब 40,000 महिलाओं से अधिक महिलाओं के साथ में ठगी हुआ है जो करीब 1 अरब 70 करोड़ से अधिक की राशि का भ्रष्टाचार महिलाओं के नाम से लोन निकाल कर फ़्लोरा मैक्स एवं अन्य के द्वारा किया गया है। पीड़ित महिलाओं का अपराध दर्ज करने के लिए जिला प्रशासन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है की केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ एवं देश के सभी प्रदेशो में नियमानुसार लागू करवाया जाए। जिन फ़र्ज़ी फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड व अन्य एवं कलेक्टर कोरबा श्री अजित बसंत के विरुद्ध केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

सादर

(ननकी राम कंवर)

प्रति,

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली

...एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
...विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक..रा.मं.पु./2024/610 **दिनांक** : 10/12/2024

Ministry of Home Affairs
12 DEC 2024
RECEIVED

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री शाहजी,

विषयः- केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत के द्वारा विफल करने पर सम्बंधित फ़्लोरा मैक्स फ़र्ज़ी कंपनी एवं अन्य के विरुद्ध कार्यवाही क्योंकि यह अत्यंत गंभीर मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की चिंता करते हुए पुरे देश में ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को लोन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उन्हें ससक्त बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त योजना को पुरे देश में लागू किया गया है परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है। फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स से प्राप्त नगद राशि को फ़र्ज़ी कंपनियों के द्वारा महिलाओं को आश्वासन देकर ले लिया गया। उन्हें जो आश्वासन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है जिससे गरीब महिलाएं परेशान होकर दर दर भटक रही है। उनकी सुनवाई शासन प्रशासन में कही नहीं हो रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा, रायगढ़, जांजगीर - चांपा, महासमुंद, बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन जिलों एवं देश के अन्य प्रदेशो में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है। इस कार्य में कोरबा जिले में फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड इसी प्रकार बहुत सारी निजी फाइनेंस कम्पनियाँ बिहान योजना से जुडी महिलाएं व अन्य महिलाएं जिन्हे एक महिला को अनेको फाइनेंस कंपनियों के द्वारा नगत लोन दिया गया है। इस योजना के माध्यम से पुरे प्रदेश में लगभग 10 लाख महिलाओं से उपरोक्त फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स ने ठगी की है।

भारत रिज़र्व बैंक के निर्देषा अनुसार जिसके निर्देश का पालन करना सभी बैंक एवं निजी फाइनेंस कंपनियों को आवश्यक है उन निर्देशों के विरुद्ध जाकर एवं अन्य बैंक व फाइनेंस कम्पनियाँ फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा रिज़र्व बैंक के नियमो के विरुद्ध जाकर नगद लोन व एक महिला को अनेको फाइनेंस कंपनियों एवं बैंको के द्वारा नगद लोन दिया गया है जो की नियम विरुद्ध एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। नगद लोन देने का प्रावधान नहीं है।

...व सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
...सभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक.................... **दिनांक : ....**

नियम यह है कि एक व्यक्ति को एक ही फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन प्राप्त होता है जब तक वह व्यक्ति अपने लोन की पूरी राशि देने के बाद ही अन्य बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों से लोन प्राप्त कर सकता है परन्तु उपरोक्त फाइनेंस कंपनी एवं बैंकर्स के द्वारा भ्रष्टाचार कर के एक ही व्यक्ति को अनेको बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के द्वारा लोन दिया गया है।

कोरबा जिले के अंतर्गत कार्य करने वाली फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा शासन प्रशासन एवं वहाँ के लोगो से मिल कर भ्रष्टाचार, ठगी एवं लूट करने की नियत से कोरबा जिला आदिवासी जिले के अंतर्गत आता है यहाँ अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य वर्ग की महिलाएं जो की कम पढ़ी लिखी होती है जिन्हे ज्यादा जानकारी नहीं होती है उसका फायदा उठाते हुए उपरोक्त लोगो के द्वारा यह भ्रष्टाचार लूट एवं ठगी किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत जिले के लिए लोकल LIV होती है जो जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जिले में होने वाले सभी कार्यकलाप की जानकारी प्रदान करता है। कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत को इस भ्रष्टाचार ठगी एवं लूट की जानकारी थी उसके बाद भी इनके द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है की कलेक्टर कोरबा श्री अजीत बसंत की सांठ गाँठ उपरोक्त फ़र्ज़ी कंपनियों के साथ थी।

कोरबा जिले में करीब 40,000 महिलाओं से अधिक महिलाओं के साथ में ठगी हुआ है जो करीब 1 अरब 70 करोड़ से अधिक की राशि का भ्रष्टाचार महिलाओं के नाम से लोन निकाल कर फ़्लोरा मैक्स एवं अन्य के द्वारा किया गया है। पीड़ित महिलाओं का अपराध दर्ज करने के लिए जिला प्रशासन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है की केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ एवं देश के सभी प्रदेशो में नियमानुसार लागू करवाया जाए। जिन फ़र्ज़ी फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड व अन्य एवं कलेक्टर कोरबा श्री अजित बसंत के विरुद्ध केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

सादर

(ननकी राम कंवर)

प्रति,

माननीय श्री अमित शाह जी
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली

...एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
...विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmall.com

क्रमांक..रामपुर..|2024 |612   दिनांक : 10/11/2024.

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री सूद साहब,

विषय:- केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत के द्वारा विफल करने पर सम्बंधित फ़्लोरा मैक्स फ़र्ज़ी कंपनी एवं अन्य के विरुद्ध कार्यवाही क्योंकि यह अत्यंत गंभीर मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की चिंता करते हुए पुरे देश में ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को लोन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उन्हें ससक्त बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त योजना को पुरे देश में लागू किया गया है परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है । फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स से प्राप्त नगद राशि को फ़र्ज़ी कंपनियों के द्वारा महिलाओं को आश्वासन देकर ले लिया गया। उन्हें जो आश्वासन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है जिससे गरीब महिलाएं परेशान होकर दर दर भटक रही है। उनकी सुनवाई शासन प्रशासन में कही नहीं हो रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा, रायगढ़, जांजगीर - चांपा, महासमुंद, बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन जिलों एवं देश के अन्य प्रदेशो में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है। इस कार्य में कोरबा जिले में फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड इसी प्रकार बहुत सारी निजी फाइनेंस कम्पनियाँ बिहान योजना से जुडी महिलाएं व अन्य महिलाएं जिन्हे एक महिला को अनेको फाइनेंस कंपनियों के द्वारा नगत लोन दिया गया है। इस योजना के माध्यम से पुरे प्रदेश में लगभग 10 लाख महिलाओं से उपरोक्त फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स ने ठगी की है।

भारत रिज़र्व बैंक के निर्देषा अनुसार जिसके निर्देश का पालन करना सभी बैंक एवं निजी फाइनेंस कंपनियों को आवश्यक है उन निर्देशों के विरुद्ध जाकर एवं अन्य बैंक व फाइनेंस कम्पनियाँ फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा रिज़र्व बैंक के नियमो के विरुद्ध जाकर नगद लोन व एक महिला को अनेको फाइनेंस कंपनियों एवं बैंको के द्वारा नगद लोन दिया गया है जो की नियम विरुद्ध एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। नगद लोन देने का प्रावधान नहीं है।

व सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
सभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक....................

दिनांक : ....

नियम यह है कि एक व्यक्ति को एक ही फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन प्राप्त होता है जब तक वह व्यक्ति अपने लोन की पूरी राशि देने के बाद ही अन्य बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों से लोन प्राप्त कर सकता है परन्तु उपरोक्त फाइनेंस कंपनी एवं बैंकर्स के द्वारा भ्रष्टाचार कर के एक ही व्यक्ति को अनेको बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के द्वारा लोन दिया गया है।

कोरबा जिले के अंतर्गत कार्य करने वाली फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा शासन प्रशासन एवं वहाँ के लोगो से मिल कर भ्रष्टाचार, ठगी एवं लूट करने की नियत से कोरबा जिला आदिवासी जिले के अंतर्गत आता है यहाँ अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य वर्ग की महिलाएं जो की कम पढ़ी लिखी होती है जिन्हे ज्यादा जानकारी नहीं होती है उसका फायदा उठाते हुए उपरोक्त लोगो के द्वारा यह भ्रष्टाचार लूट एवं ठगी किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत जिले के लिए लोकल LIV होती है जो जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जिले में होने वाले सभी कार्यकलाप की जानकारी प्रदान करता है। कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत को इस भ्रष्टाचार ठगी एवं लूट की जानकारी थी उसके बाद भी इनके द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है की कलेक्टर कोरबा श्री अजीत बसंत की सांठ गाँठ उपरोक्त फ़र्ज़ी कंपनियों के साथ थी।

कोरबा जिले में करीब 40,000 महिलाओं से अधिक महिलाओं के साथ में ठगी हुआ है जो करीब 1 अरब 70 करोड़ से अधिक की राशि का भ्रष्टाचार महिलाओं के नाम से लोन निकाल कर फ़्लोरा मैक्स एवं अन्य के द्वारा किया गया है। पीड़ित महिलाओं का अपराध दर्ज़ करने के लिए जिला प्रशासन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है की केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ एवं देश के सभी प्रदेशो में नियमानुसार लागू करवाया जाए। जिन फ़र्ज़ी फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स फ़लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड व अन्य एवं कलेक्टर कोरबा श्री अजित बसंत के विरुद्ध केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

प्रति,

माननीय श्री प्रवीण सूद जी
डायरेक्टर सी०बी०आई०
भारत सरकार नई दिल्ली

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय
11 DEC 2024

(ननकी राम कंवर)

...य सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
...सभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
...नकार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Emall :nanklramkanvar@gmall.com

क्रमांक..रा.म.पू.c./2024/611

दिनांक : 10/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री नवीन साहब,

विषय:- केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत के द्वारा विफल करने पर सम्बंधित फ़्लोरा मैक्स फ़र्ज़ी कंपनी एवं अन्य के विरुद्ध कार्यवाही क्योंकि यह अत्यंत गंभीर मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की चिंता करते हुए पुरे देश में ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को लोन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उन्हें ससक्त बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त योजना को पुरे देश में लागू किया गया है परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है। फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स से प्राप्त नगद राशि को फ़र्ज़ी कंपनियों के द्वारा महिलाओं को आश्वासन देकर ले लिया गया। उन्हें जो आश्वासन दिंया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है जिससे गरीब महिलाएं परेशान होकर दर दर भटक रही है। उनकी सुनवाई शासन प्रशासन में कही नहीं हो रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा, रायगढ़, जांजगीर - चांपा, महासमुंद, बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन जिलों एवं देश के अन्य प्रदेशो में भी प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी की सोच के विरुद्ध जाकर अनेक फ़र्ज़ी कम्पनियाँ, निजी फाइनेंस कम्पनियाँ जिला प्रशासन के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मिलकर आपसी सांठ गांठ कर देश एवं प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को लूटने का कार्य किया गया है। इस कार्य में कोरबा जिले में फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड इसी प्रकार बहुत सारी निजी फाइनेंस कम्पनियाँ बिहान योजना से जुडी महिलाएं व अन्य महिलाएं जिन्हे एक महिला को अनेको फाइनेंस कंपनियों के द्वारा नगत लोन दिया गया है। इस योजना के माध्यम से पुरे प्रदेश में लगभग 10 लाख महिलाओं से उपरोक्त फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स ने ठगी की है।

भारत रिज़र्व बैंक के निर्देषा अनुसार जिसके निर्देश का पालन करना सभी बैंक एवं निजी फाइनेंस कंपनियों को आवश्यक है उन निर्देशों के विरुद्ध जाकर एवं अन्य बैंक व फाइनेंस कम्पनियाँ फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा रिज़र्व बैंक के नियमो के विरुद्ध जाकर नगद लोन व एक महिला को अनेकी फाइनेंस कंपनियों एवं बैंको के द्वारा नगद लोन दिया गया है जो की नियम विरुद्ध एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। नगद लोन देने का प्रावधान नहीं है।

RECEIVED ...2024 ...ate of Enforcement (FEMA) Hqrs. Office

...व सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
...सभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

...क्रमांक....................

दिनांक : ....

नियम यह है कि एक व्यक्ति को एक ही फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन प्राप्त होता है जब तक वह व्यक्ति अपने लोन की पूरी राशि देने के बाद ही अन्य बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों से लोन प्राप्त कर सकता है परन्तु उपरोक्त फाइनेंस कंपनी एवं बैंकर्स के द्वारा भ्रष्टाचार कर के एक ही व्यक्ति को अनेको बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के द्वारा लोन दिया गया है।

कोरबा जिले के अंतर्गत कार्य करने वाली फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड एवं अन्य कंपनियों के द्वारा शासन प्रशासन एवं वहाँ के लोगो से मिल कर भ्रष्टाचार, ठगी एवं लूट करने की नियत से कोरबा जिला आदिवासी जिले के अंतर्गत आता है यहाँ अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य वर्ग की महिलाएं जो की कम पढ़ी लिखी होती है जिन्हे ज्यादा जानकारी नहीं होती है उसका फायदा उठाते हुए उपरोक्त लोगो के द्वारा यह भ्रष्टाचार लूट एवं ठगी किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत जिले के लिए लोकल LIV होती है जो जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जिले में होने वाले सभी कार्यकलाप की जानकारी प्रदान करता है। कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजित बसंत को इस भ्रष्टाचार ठगी एवं लूट की जानकारी थी उसके बाद भी इनके द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है की कलेक्टर कोरबा श्री अजीत बसंत की सांठ गाँठ उपरोक्त फ़र्ज़ी कंपनियों के साथ थी।

कोरबा जिले में करीब 40,000 महिलाओं से अधिक महिलाओं के साथ में ठगी हुआ है जो करीब 1 अरब 70 करोड़ से अधिक की राशि का भ्रष्टाचार महिलाओं के नाम से लोन निकाल कर फ़्लोरा मैक्स एवं अन्य के द्वारा किया गया है। पीड़ित महिलाओं का अपराध दर्ज करने के लिए जिला प्रशासन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है की केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाने की योजना को छत्तीसगढ़ एवं देश के सभी प्रदेशो में नियमानुसार लागू करवाया जाए। जिन फ़र्ज़ी फाइनेंस कंपनियों एवं बैंकर्स फ़्लोरा मैक्स कंपनी, जन लक्ष्मी, एल एंड टी, पहल, नाबार्ड व अन्य एवं कलेक्टर कोरबा श्री अजित बसंत के विरुद्ध केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

सादर

(ननकी राम कंवर)

प्रति,

माननीय श्री राहुल नवीन जी
डायरेक्टर ई०डी०
भारत सरकार नई दिल्ली

राम कंवर
जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास
धनवार पारा, रानी गढ़, पुरानी बस्ती, कोरबा.
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक रामपुर/2024/546 **दिनांक :** 09/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री आर्य साहब

विषय: फ्लोरामेक्स फर्जी कंपनी के द्वारा कोरबा जिले के 40000 से अधिक महिला समूह (ग्रामीण आजीविका मिशन) से जुड़े आदिवासी महिलाओ सहित अन्य महिलाओ से ठगी कर अरबो रूपये का घोटाला की जाँच केन्द्रीय जाँच एजेंसी से कराकर दोषियों पर कार्यवाही करते हुए पीड़ित महिलाओ को राहत दिलाने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तार्गत लेख है की माननीय प्रधानमंत्री जी महत्वकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रायः प्रायः सभी महिलाओ को स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने की योजना है इसी तरह छतिसगढ़ सरकार में महिलाओ को आर्थिक स्थिती को मजबूत करने की दिशा में नारी सम्मान के नाम पर महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है लेकिन कोरबा जिले में आपकी योजना को विफल किया जा रहा है कोरबा जिले में 5 ब्लाक व 412 ग्राम पंचायत है प्रत्येक ब्लाक में करीब 2200 स्व.सहायता समूह का गठन किया गया है सभी समितियों में 10 सदस्य कम से कम जुड़े हुए है इस तरह करीब 22000 महिलाये स्व सहायता से जुड़े हुए है और कोरबा जिले में अनुमानतः 15000 स्व सहयाता समूह है जिनमे करीब 150000 महिलाये समूह से जुड़ी हुई है । आदिवासी जिला होने के कारण ज्यादातर आदिवासी महिला को ही टारगेट कर कोरबा जिले में फ्लोरामेक्स फर्जी कंपनी के द्वारा कोरबा कलेक्टर श्री अजित बसंत के कार्यकाल में जिला प्रशासन के अधिकारी व फाइनेंस कंपनी से मिलीभगत कर कोरबा जिले के प्रायः प्रायः सभी पंचायतो के प्रत्येक समूह में सभी आदिवासी महिला सदस्यों के नाम पर हर एक महिला का अलग अलग फाइनेंस कंपनी से व्यवसाय करने के नाम पर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के 5 से 6 या इससे अधिक का कई फर्जी लोन करवा कर फ्लोरामेक्स फर्जी कंपनी के महिला लीडर के द्वारा महिलाओ को दिग्रभमित कर 30300/- रुपये प्रतेक लों पर रख लिया जाता था और 30000/- रुपये का ही रसीद दिया जाता था महिलाओ को कंपनी के लीडरो के द्वारा महिलाओ से कहा जाता था की आप लोग का पूरा किस्त भी हमारी कंपनी बैंक को जमा करेगी और आप लोग को एक दो माह का किस्त भी उन कंपनी के द्वारा जमा किया गया उसके बाद कोई किस्त जमा नहीं होने और कंपनी के संचालक और उनके लोकल अभिकर्ता फरार होने से भोले भाले महिलाओ से अरबो रुपये का ठगी होने का अंदेशा होने से महिलाये बहुत चिंतित व आक्रोशित है कभी भी जन आंदोलन होने की संभावना दिख रहा है । फाइनेंस कंपनी से महिलाओ के नाम पर अरबो रूपये की लोंन की राशी फ्लोरामेक्स फर्जी कंपनी, के पास जमा किया गया है जिसे फ्लोरामेक्स फर्जी कंपनी के द्वारा न तो बैंक में जमा किया है इस तरह इतनी भारी नगद रकम कोरबा जिले से बाहर कैसे लेकर गए होंगे बिना प्रशासनिक अधिकारियो के मिलीभगत के बगैर 40000 महिलाओ से अधिक लोगो से ठगी नहीं हो सकती है इसमे प्रशासन के

...राम कंवर
...ल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधासभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला--कारेबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक.................... **दिनांक : ....**

अधिकारियो सहित बैंक के अधिकारियो की भी संलिप्तता होना स्पष्ट दिखाई पड़ता है । जिला पुलिस प्रशासन कोरबा द्वारा करीब 40000 महिलाओ से अलग अलग थाना व पुलिस चौकी के अंतर्गत भ्रष्टाचार किया गया है लेकिन प्रशासन ने केवल एक दो एफ.आई.आर ही दर्ज किया है जिससे कारण इनकी कार्यशाली पर प्रश्न उठ रहा है सभी पीड़ित आदिवासी महिलाओ को न्याय से वंचित होना पड़ रहा है इससे केंद्र व राज्य सरकार की योजना का क्रियान्वयन करने की जवाबदारी कोरबा जिला प्रशासन कलेक्टर का था सभी समूह की महिलाओ के फाइनेंस से लोन व के.वाई.सी करने की जवाबदारी ब्लाक स्तर पर ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी व जिला व जनपद स्तर पर ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदारी थी समय समय पर उनकी समीक्षा करना जिला लीड बैंक का भी समीक्षा कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा का था लेकिन उपरोक्त सभी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही व सही मोनिटरिंग नहीं की गई जिनसे कोरबा के गरीब महिलाओ से अरबो रुपये का ठगी हो गया लेकिन अजगर शाप व कुम्भकरण की तरह सो रहे प्रशासन की नाकामी के कारण सभी महिलाये से ठगी होने के कारण आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है । कलेक्टर कोरबा श्री अजित बसंत के पास हजारो महिलाओ ने शिकायत किया लेकिन प्रशासन इसमे गंभीर नजर नहीं आ रहा है जिसके कारण अभी तक कोरबा जिले में कितने महिलाओ से इस स्कैम में ठगी हुआ है और कितना राशी का ठगी हुआ है स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है आदिवासी जिला होने से निश्चित ही आदिवासी महिलाओ के साथ में बहुत बढे पैमाने पर ठगी हुआ है ठगी में फ्लोरामेक्स से जुड़े टीम और उनके कुछ लीडर के साथ साथ कलेक्टर श्री अजित बसंत की भूमिका होने का अंदेशा है ।

अतः आपसे अपेक्षा है की महिलाओ को फर्जी कंपनी फ्लोरामेक्स के डायरेक्टर उनके केशियर और अभिकर्ता महिलाओ जो इस ठगी में शामिल है और संबंधित फाइनेंस के कर्मचारी जिले के अधिकारी और जवाबदार प्रशासन के दोषी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए अरबो रुपये के ठगी से महिला स्व सहयता समूह से जुडी पीड़ित महिलाओ को कर्ज से निजात दिलाते हुए अरबो रुपये के ठगी के मामले को केन्द्रीय जाँच एर्जेसी सी.बी.आई. या ई.डी. से कराकर दोषियों पर कार्यवाही कराना चाहेंगे ।

आदर

(ननकी राम कंवर)

प्रति,

माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी
अध्यक्ष
केंद्रीय अनु. जन जाती आयोग भारत सरकार (नई दिल्ली)

Office of Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के तहत)

1. **District** कोरबा **P.S. (थाना):** कोरबा कोतवाली **Year (वर्ष):** 2024
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0703
Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 20/11/2024 21:05 बजे

2.

S.No. (क्र.	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338

3. **(a) Occurrence of offence(अपराध की घटना):**
1. **Day (दिन):** शुक्रवार
Date From (दिनांक से): 01/01/2021 **Date To (दिनांक तक):** 31/10/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे
Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 20/11/2024 **Time (समय):** 21:05 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्ट सं.):** 051
Date & Time (दिनांक और समय): 20/11/2024 21:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व 02 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): , फ्लोरा मैक्स कंपनी सीटी माल पावर हाउस रोड कोरबा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
(a) Name (नाम): श्रीमति कल्याणी नामदेव
(b) Husband's Name (पति का नाम): श्री रंगलाल नामदेव
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	आवासीय वर्तमान पता	, , , ग****, क****, छत्तीसगढ़, भारत
2	आवासीय स्थायी पता	, , , ग****, क****, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-**********

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अखिलेश सिंह फ्लोरा मैक्स कम्पनी का मालिक		पति :	फ**** क**** छत्तीसगढ़ भारत
2	राजू सिंह		पति :	फ**** क**** छत्तीसगढ़ भारत
3	श्रीमती गुड़िया सिंह		पति :	फ**** क**** छत्तीसगढ़ भारत
4	मयाराम साहू		पति :	फ**** क**** छत्तीसगढ़ भारत
5	कु तनिपा बघेल		पति :	फ**** क**** छत्तीसगढ़ भारत
6	श्रीमति संतोषी साहू		पति :	फ**** क**** छत्तीसगढ़ भारत
7	बलराम सिंह ठाकुर एवं अन्य		पति : श्री कार्तिक राम	फ**** क**** छत्तीसगढ़ भारत

8. Reasons of delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No.	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	करीबन 1,200,000,000/ रूपये (एक सौ बीस करोड रूपये)	1200000000

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में): 1200000000

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12 First Informaion contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं ग्राम कुदरमाल थाना उरगा जिला कोरबा में रहती हूं घर गृहस्थी का काम करती हूं कि कोरबा के पावर हाऊस रोड सिटी माल फ्लोरा मैक्स कम्पनी के संचालक अखिलेश सिंह एवं उसके सहयोगियों के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से षडयंत्र कर,

धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के सम्बन्ध में अखिलेश सिंह एवं उसके सहयोगियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रही हूं कि आवेदिका के लिखित आवेदन पर अपराध धारा सदर 318, 2(4), 336, 338, 3(5) BNS का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया जाता है प्रार्थीया का लिखित आवेदन नकल जैल है - प्रति, श्रीमान् थाना प्रभारी, थाना कोतवाली कोरबा जिला- कोरबा (छग) विषयः- फ्लोरा मैक्स कम्पनी के संचालक अखिलेश सिंह एवं उसके सहयोगियों के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से षडयंत्र कर, धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के सम्बन्ध में अखिलेश सिंह एवं उसके सहयोगियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु बाबत्। महोदय,आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन प्रस्तुत है :- 01 अखिलेश सिंह (मोबाइल नं **********) द्वारा स्वयं को फ्लोरा मैक्स कम्पनी का मालिक बताकर अपना परिचय कराया गया. कम्पनी में उसके सहायक राजू सिंह (मोबाइल नं.-87705-79658), श्रीमती गुड़िया सिंह (मोबाइल नं. 62670-01454), मयाराम साहू मो. नम्बर 95893-29708), कु तनिपा बघेल (मोबाइल नं. 78796 16710). श्रीमति संतोषी साहू 88157-64500), बलराम सिंह ठाकुर आत्मज श्री कार्तिक राम (मोबाइल नं. 95756-03802) हैं. और आवेदकगण को प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजनान्तर्गत अत्यधिक लाभ अर्जित करने हेतु विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होने के लिये प्रेरित किया गया इसके लिये अखिलेश सिंह द्वारा अपनी कम्पनी में निवेश करने पर महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में संलग्न करने का प्रस्ताव रखा गया, और प्रति महिलाओ से 30,000/- रूपये (तीस हजार रूपये), जमा कराने का निर्देश दिया गया. आवेदकगण द्वारा उक्त राशि निवेश करने की हैसियत नहीं होना बताकर उक्त राशि की व्यवस्था कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गई. तब अखिलेश सिंह द्वारा दस-दस महिलाओं का समूह बनाकर लगभग 40,000 (चालीस हजार) महिलाओं को जोड़ा गया है. और व्यवसाय हेतु विभिन्न बैंकों से प्रति महिलाओं रूपये 30,000/- रूपये (तीस हजार रूपये) का ऋण दिलाया गया है. साथ ही महिला समूहों को व्यवसाय के संचालन हेतु विभिन्न स्थानों पर दुकानें संचालित कराई गई, लगभग 40 दुकानों से नित्य प्रति की आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है, उक्त सामान के सम्पूर्ण सम्व्यवहार की व्यवस्था अखिलेश सिंह द्वारा ही की जाती है। 02 उक्त राशि बैंक से प्राप्त होते ही अखिलेश सिंह समूह की प्रत्येक महिला से उक्त राशि अर्जित कर, प्रत्येक महिला को प्रतिमाह रूपये 2,700/- रूपये (दो हजार सात सौ रूपये) देनें का प्रलोभन दिया गया था. किन्तु अखिलेश सिंह द्वारा 03 आवेदकगण से उक्त राशि अर्जित कर लेने के बाद भी कोई राशि का भुगतान आवेदकगण को नहीं किया जा रहा है. उक्त राशि के अतिरिक्त आवेदकगण पर विभिन्न बैंकों से अर्जित ऋण की किश्तों का भुगतान करने का अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हो गया है। 04 अखिलेश सिंह द्वारा आवेदकगण के कम पढे लिखे एवं अबोध होने का अनुचित लाभ उठाकर योजनाबद्ध तरीके से, पहले आवेदकगण को ऋण दिलाया गया. आवेदकगण के नाम पर संचालित खातों की पासबुक, चेकबुक, ए.टी.एम. कार्ड, अपने पास रख लिये गए, आवेदगण से अर्जित राशि अर्जित करने के बाद भी प्रत्येक महिला को दिये जाने योग्य प्रतिमाह रूपये 2,700/- रूपये (दो हजार सात सौ रूपये) का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः निवेदन है, कि आवेदकगण को फ्लोरा मैक्स कम्पनी के संचालक अखिलेश सिंह एवं उसके उपर लिखें सहयोगियों के द्वारा हम लोग एवं हम लोग करीबन 3500 हजार लेगो से विभिन्न् प्रायवेट बैंके से प्रत्येक सदस्यों से 30,000/ रूपये का लोन निकलवाककर फ्लोरा मैक्स कंपनी में जमा करवाकर केंवल फ्लोरा मैक्स कंपनी का 30,000/ रूपये की फर्जी रशीद जिसमें अस्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर दियास गया ऐसे कूटरचित दस्तावेजो से षडयंत्र कर धोखाधड़ी किया जो करीबन 1,200,000,000/ रूपये (एक सौ बीस करोड रूपये) हडपने के संबंध में अखिलेश सिंह एवं उसके सहियोगियो के विरूद्ध कड़ी से कडी कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद बांया स्थानः- कोरबा दिनांकः- 20.11.2024 सूची संलग्न है। 1-से 50 तक नाम दाहिना हिन्दी में हस्ताक्षर कल्याणी नामदेव श्रीमति कल्याणी नामदेव पति- श्री रंगलाल नामदेव पता - ग्राम कुदुरमाल कोरबा, तहसील व जिला- कोरबा छग) मो.नं.- ********** नाम मो. नं. 1. हेमबाई यादव ********** 2. कल्याणी नामदेव ********** 3. सरोजनी चंद्रा ********** 4. हेमा तांडिया ********** 5. ओमेश्वरी नायडू ********** 6. सरिता वैष्णव ********** 7. सरोजनी वैष्णव ********** 8. पूनम मुदनियार ********** 9. लता सुब्रमनियम ********** 10 नीता भारतद्वाज ********** 11. अष्टमंगला 2********** 12. राधिका केवट 13. पूजा चौहान ********** 14. मंजू चौहान ********** 15. श्याम बाई

यादव ********** 16. रुखमनी चौहान ********** 17. रागनी चौहान 934022753 18. सुचित्रा चौहान - ********** 19. सुशीला राठिया ********** 20 प्रमिला ********** 21 तुलसीदेवी ********** 22. परदेशीन 7974723/20 23. रेखा देवी ********** 24 . शकुंतला ********** 25. दुर्गाबाँधे 73050 78375 26. लालिला उरांव ********** 27 हसीबून वानो ********** 28 जानकी रतनाकर ********** 29 मंजू आदिले ********** 30 रधिका केवट ********** 31 सविन्त्री महंत ********** 32 रजनी महंत ********** 33 सोनम महंत ********** 34 उर्मिला महत ********** 36 सवित्री साहू ********** 36. सुभागी मंहत ********** 37. छतबाई ********** 38 आरती कुर्रे ********** 39 कविता वैष्णव ********** 40 पुत्या यादव ********** 41 मंगली कटवार **********, 42. राजमती **********, 43 मीनी कटवार ********** 44 सीता कुलदीप ********** 45. ममता रोहीदास - ********** 46 संतोषी ********** 47 अनिता यादव ********** 48. तौफिर **********, 49. विमलबाई **********, 50. Harsiboon jawali **********

13 **Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)**

(1) Registered the case and took up the Investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

MOTI LAL PATEL (I (Inspector)) /

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.)(जाँच अधिकारी का नाम):

Rank (पद): **No. (सं.):**

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (या)

(3) Refused Investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Tranferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of Jurisdiction(को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14 **Signature/Thumb Impression of the complainant / (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान):**

15 **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station: (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MOTI LAL PATEL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known /

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No. (क्र. स.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	महिला					
4	पुरुष					
5	महिला					
6	महिला					
7	पुरुष					

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टताएँ)	Teeth (दांत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखे)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्यूकोडर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Disclaimer- This is a system generated copy of original F.I.R.

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of Civil Courts under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल,लोकनायक भवन,खान मार्केट
नई दिल्ली-110003

नोटिस

दिनांक: 10/12/2024

फा. सं.: **NCST/DEV-3808/CG/2/2024-ESDW**

1. **श्री अमिताभ जैन,**
   प्रमुख सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
   महानदी भवन, नवा रायपुर,
   रायपुर, छत्तीसगढ़ 492015

विषय: **फलोरामेक्स फर्जी कंपनी के द्वारा कोरबा जिले (छत्तीसगढ़) के 400000 से अधिक महिला समूह (ग्रामीण आजीविका मिशन) से जुड़े आदिवासी महिलाओं से ठगी कर अरबों रूपये का घोटाला की जांच केन्द्रीय जांच एंजेसी से कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने के संबंध में – श्री ननकी राम कवंर, पूर्व विधायक तथा पूर्व गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कोरबा (छत्तीसगढ़) का दिनांक 09.12.2024 का पत्र/ अभ्यावेदन ।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री ननकी राम कंवर से दिनांक 09/12/2024 में एक याचिका/ शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: ....
ई-मेल: ....

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

...रसायन अभियांत्रिकी
...प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)
...इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी)
...इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी
...एवं पेट्रोरसायन विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
प्लॉट नं – 48, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी
रायपुर – 493221 (छ.ग.)
फोन नं 0771-6073001-30
ई-मेल : raipur@cipet.gov.in
वेबसाईट : www.cipet.gov.in
मुख्यालय : सिपेट गिण्डी, चेन्नई – 600032

सिपेट CIPET

CENTRAL INSTITUTE OF PETROCHEMICALS
ENGINEERING & TECHNOLOGY(CIPET)
(Formerly Central Institute of Plastics Engineering & Technology)
CIPET : Institute of Petrochemicals Technology
Department of Chemicals and Petrochemicals,
Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India
Plot No. 48, Industrial Area Bhanpuri,
Raipur - 493221 (C.G.)
Phone No : 0771-6073001-30
E-mail : raipur@cipet.gov.in
Website : www.cipet.gov.in
Head Office : CIPET, Guindy, Chennai - 600032

सिपेट-राय/प्रशा./सू.अधि./अ.कु./2024-25/2566

दिनांक 20.11.2024

प्रति,

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव,
एल.आई.जी.-91,
पं.रविशंकर शुक्ल नगर,
जिला-कोरबा (छ.ग.)-495677.
07999640316

विषय:- सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत आवेदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका तीन आवेदन पत्र क्र. NOV/24/03 दिनांक 18.11.2024 (RTI पोर्टल में पंजीयन क्र.CIPET/R/E/24/00058)

विषयान्तार्गत, सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रेषित, संदर्भित आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित जानकारी/दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में लेख है की दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में सिपेट, रायपुर को डी.ऍम.एफ.टी. कोरबा से कोई राशि प्राप्त नहीं हुयी है, अतः जानकारी निरंक है।

With reference to the subject matter cited above and information desired vide applications as per provisions of Right to Information Act 2005, It is to inform you that CIPET, Raipur did not received any fund from DMFT, Korba during 01.04.2018 to 31.03.2019), Hence the information is NIL.

यदि आप उपलब्ध कराई गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। विवरण निम्न है/If you are not satisfied with the above reply, you may make an appeal to the Appeallate Authority and his details are given below:

श्री एस. इलंगोवन/**Shri S. Ilangovan**
अपीलीय प्राधिकारी / **Appellate Authority**
सिपेट मुख्यालय/**CIPET Head Office,**
टी.वि.के. औद्योगिक क्षेत्र/**T.V.K. Industrial Estate,**
गिंडी/**Guindy,** चेन्नई/**Chennai – 600 032.**

डॉ. आलोक साहू / **Dr. Alok Sahu**
प्रधान निदेशक एवं प्रमुख / **Principal Director & Head /**
जन सूचना अधिकारी/**Public Information Officer**

22

...T OF ACCOUNT

...A JILA KHANIJ SANSTHAN NYAS NIDHI KH
...LLECTOR

STATE BANK OF INDIA
I T I COLONY(RAMPUR)
NEAR COLLECTORATE OFFICE
KORBA, KORBA,
495677
Branch Phone 221309
IFSC SBIN0006047
MICR 495002306

Account No.:35426068489
Product : SBCHQ-GEN-PUB OTH-NONRURAL-INR
Currency : INR

...04/10/2018 Time : 18:38.53
...ared Balance : 1,07,11,40,221.29Cr
...OD Bal : 0.00
...Limit : 0.00
...nt. Rate : 4.00 % p.a.
Statement From : 01/09/2018 to 30/09/2018

E-mail :
Uncleared Amount : 0.00
Drawing Power 0.00
Nominee Name :
Page No. : 3

Post Date	Value Date	Details	Chq.No	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				1623645784.29Cr
12/09/18	12/09/18	AXS TO CLEARING CH CLG CHQ DEBIT SB Multicity Cheque	733379	2000000.00 ✓		1621645784.29Cr
12/09/18	12/09/18	AXS TO CLEARING CH CLG CHQ DEBIT SB Multicity Cheque	733397	3540000.00 ✓		1618105784.29Cr
13/09/18	13/09/18	AXS TO CLEARING CH CAS CHQ XFER WD SB Multicity Cheque	733398	1064400.00 ✓		1617041384.29Cr
13/09/18	13/09/18	WITHDRAWAL TRANSFER TRF TO 0010427222119 DR THRU CHQ 00395 JANJGIR SB Multicity Cheque	733377	76337000.00 ✓		1540704384.29Cr
13/09/18	13/09/18	BOM 1st CLG 130920 DR THRU CHQ 00395 JANJGIR SB Multicity Cheque	733394	258000.00 ✓		1540446384.29Cr
13/09/18	13/09/18	BOM 1st CLG 130920 CAS CHQ XFER WD SB Multicity Cheque	733396	16352000.00 ✓		1524094384.29Cr
14/09/18	14/09/18	WITHDRAWAL TRANSFER TRF TO 0010427222119 CLG CHQ DEBIT SB Multicity Cheque	733403	2201200.00 ✓		1521893184.29Cr
14/09/18	14/09/18	BOB TO CLEARING CH CLG CHQ DEBIT SB Multicity Cheque	733388	5995000.00 ✓		1515898184.29Cr
14/09/18	14/09/18	CBI TO CLEARING CH CLG CHQ DEBIT SB Multicity Cheque	733413	3120000.00 ✓		1512778184.29Cr
18/09/18	18/09/18	VJB TO CLEARING CH CAS CHQ XFER WD SB Multicity Cheque WITHDRAWAL TRANSFER TRF TO 0035019988579	733447	250000000.00 ✓		1262778184.29Cr
		CARRIED FORWARD :				1,26,27,78,184.29Cr

Statement Summary
Dr. Count 30 Cr. Count 0 39,97,20,980.00

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

DISTRICT MINERALS FOUNDATION (DMF)
DISTT.- KORBA
Schedule - A - Advance to Agencies

S No.	Implementing Agencies	Opening Balance 01.04.2018	Fund Alloted	Fund Utilized / Return	Closing Balance 31.03.2019
36	Mukhya Karyapalan Adhikari, Jila Panchayat, Korba	17,70,84,000	6,45,50,300	4,60,70,000	19,55,64,300
37	Mukhya Karyapalan Adhikari, Nagar Panchayat, Chhuri	-	1,20,000	-	1,20,000
38	Mukhya Karyapalika Adhikari, Janpad Panch, Katghora	5,03,11,000	6,48,60,914	-	11,51,71,914
39	Mukhya Karypalan Adhikari Janpad Panchayat, Korba	22,83,36,200	4,52,49,800	-	27,35,86,000
40	Mukhya Nagar Palika Adhikari, Dipika	3,34,98,400	4,02,000	-	3,39,00,400
41	Mukhya Nagar Palika Adhikari, Katghora	9,40,000	3,71,600	-	13,11,600
42	Mukya Karyapalan Adhikari, Janpad Panch, Pali	13,09,71,767	16,63,47,190	-	29,73,18,957
43	Mukya Karyapalan Adhikari Janpad Podi	10,37,90,368	9,68,82,144	-	20,06,72,512
44	Pariyojna Prashashak Adivasi Vikas Korba	3,35,000	44,640	-	3,79,640
45	Police Adhikshak Korba	97,60,000	-	-	97,60,000
46	Pradhan Mantri Upwala Yojna	6,00,52,000	11,00,00,000	-	17,00,52,000
47	Principal, Livelihood College, Korba	34,66,880	-	-	34,66,880
48	Sahayak Ayukt Adiwasi Vikas Korba	71,48,16,625	14,72,96,777	-	86,21,13,402
49	Sahayak Sanchalak C S S D A Korba	28,17,529	56,49,875	-	84,67,404
50	Sahayak Sanchalak Machalipalak, Korba	21,85,000	3,48,800	-	25,33,800
51	Sahayak Sanchalak Udyan Korba	61,40,000	1,67,55,398	25,800	2,28,69,598
52	Sanchalak, Khadya Nag. Aapurti & Upbhokta Sarkshan	10,33,71,000	-	-	10,33,71,000
53	Sarpanch Gram Panchyat , Jalke	-	33,38,000	-	33,38,000
54	Sarpanch Gram Panchyat , Jinpuri, Pondi	-	61,71,000	-	61,71,000
55	Sarpanch Gram Panchyat Dumar Kachar	27,35,350	6,56,000	2,50,688	31,40,662
56	Sarpanch Gram Panchyat Kerwadwari Kathgora	7,93,450	54,37,800	-	62,31,250
57	SLPAI Raipur	-	25,00,00,000	-	25,00,00,000
58	Social Action for Rural Development	-	1,95,62,500	-	1,95,62,500
59	Up Sanchalak Jan Sampark	-	1,84,016	-	1,84,016
60	Up Sanchalak Krishi Vibhag , Korba	93,30,152	1,32,30,000	-	2,25,60,152
61	Up Sanchalak Pashu Chikitsa Korba	8,80,000	18,20,000	-	27,00,000
62	Van Mandal Adhikari, Katghora	5,04,84,620	1,69,56,122	-	6,74,40,742
63	Van Mondal Adhikari, Korba	12,24,25,000	-	-	12,24,25,000
64	Yuwa Jagriti Manch Raipur	-	45,62,500	-	45,62,500
	Total	4,00,36,45,635	2,53,87,79,978	5,81,75,088	6,48,42,50,525

ASHOK K. AGRAWAL & CO.
KORBA
CHARTERED ACCOUNTANTS

नकी राम कंवर
पूर्व गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक..रामपुर..|2024/545   दिनांक : 09/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री मोदी साहब

विषय: श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा द्वारा अपने कार्यकाल में कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास म□ अरबो रुपये का किये गए घोटाला व मनरेगा योजना जैसे कें□ीय म□ में करोडो का घोटाला की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से कराने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तार्गत लेख है की श्री संजीव कुमार झा कोरबा जिले में □िनांक 01/07/2022 से 31/07/2023 तक प□स्त रहे है इनके कार्यकाल में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में जिला खनिज संस्थान न्यास में शासी परिस□ की बैठक में अनुमो□ित कार्य के विरुद्ध जाकर भ्रष्टाचार करने की नियत से कांग्रेस से जुड़े विधायक और उनके कार्यकर्ताओ से मिलकर कमीशन लेकर मन मौजे कार्य को स्वीकृति □ी गई है स्वीकृत किये गए कार्य में अधिकतर कार्य को बैठक में अनुमो□न नहीं लिया गया और केवल कागज में ही कार्य स्वीकृति कर अरबो रुपये की राशी का बं□र बाट किया गया है । अनुमो□न सूची भी गायब कर फर्जी अनुमो□न सूचि भी तैयार किया गया जिनमे शासी परिस□ के बैठक में उपस्थित स□स्यों का हस्ताक्षर भी नहीं है सामग्री सप्लाई, प्रक्षिक्षण, स्ट्रीट लाईट और महिला समितियों को प्र□त सामग्री, शिक्षा विभाग, स्वस्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग के कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है पोड़ी उपरोड़ा और कटघोरा व पाली ब्लाक में विभिन्न विभाग से इनके कार्यकाल में अरबो का कार्य भ्रष्टाचार के नियत से कार्य स्वीकृत किया गया । करतला व कोरबा ब्लाक मे 3 से 4 करोड़ का ही केवल कार्य स्वीकृत किया गया इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ।

इसी तरह कोरबा जिले में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण और सामग्री सप्लाई में भी अनियमितता किया गया है समस्त भ्रष्टाचार में संजीव झा कलेक्टर कोरबा के साथ, श्री नूतन कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा व श्री भरोसाराम ठाकुर परियोजना अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की अहम् भूमिका रही है मेरे द्वारा आपको इस भ्रष्टाचार की जाँच के संबंध में पूर्व में भी आपको शिकायत पत्र □ेकर अवगत कराया गया था लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

अतः आपसे अपेक्षा है की श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा के कार्यकाल वर्ष 2022-23 व 2023-24 में हुए भारी भ्रष्टाचार की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से करने पर अरबो रुपये का भ्रष्टाचार सामने आयेगा जिसमे कई सफे□ पोसक □ाग□ार नेता की असली चेहरा जनता के सामने आयेगा इसलिए उचित जाँच कराकर □ोषियों पर कड़ी कार्यवाही कराना चाहेंगे ।

स्पीड

प्रति,

माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी

प्रधानमंत्री

भारत सरकार (नई □िल्ली)

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
RECEIVED ON
Date 12/12/24

(ननकी राम कंवर)

की राम कंवर

पूर्व गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक..रामपुर../2024/544

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
12 DEC 2024
प्राप्त किया/केन्द्रीय रजिस्ट्री
RECEIVED/C.R. SECTION
नॉर्थ ब्लॉक/North Block

दिनांक : 09/12/2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री ...शाह जी...........................

विषय: श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा द्वारा अपने कार्यकाल में कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास म□ अरबो रुपये का किये गए घोटाला व मनरेगा योजना जैसे कें□ीय म□ में करोडो का घोटाला की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से कराने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तार्गत लेख है की श्री संजीव कुमार झा कोरबा जिले में □िनांक 01/07/2022 से 31/07/2023 तक प□स्त रहे है इनके कार्यकाल में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में जिला खनिज संस्थान न्यास में शासी परिस□ की बैठक में अनुमो□ित कार्य के विरुद्ध जाकर भ्रष्टाचार करने की नियत से कांग्रेस से जुड़े विधायक और उनके कार्यकर्ताओ से मिलकर कमीशन लेकर मन मौजे कार्य को स्वीकृति □ी गई है स्वीकृत किये गए कार्य में अधिकतर कार्य को बैठक में अनुमो□न नहीं लिया गया और केवल कागज में ही कार्य स्वीकृति कर अरबो रुपये की राशी का बं□र बाट किया गया है । अनुमो□न सूची भी गायब कर फर्जी अनुमो□न सूचि भी तैयार किया गया जिनमे शासी परिस□ के बैठक में उपस्थित स□स्यों का हस्ताक्षर भी नहीं है सामग्री सप्लाई, प्रक्षिक्षण, स्ट्रीट लाईट और महिला समितियों को प्र□त सामग्री, शिक्षा विभाग, स्वस्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग के कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है पोड़ी उपरोड़ा और कटघोरा व पाली ब्लाक में विभिन्न विभाग से इनके कार्यकाल में अरबो का कार्य भ्रष्टाचार के नियत से कार्य स्वीकृत किया गया । करतला व कोरबा ब्लाक में 3 से 4 करोड़ का ही केवल कार्य स्वीकृत किया गया इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ।

इसी तरह कोरबा जिले में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण और सामग्री सप्लाई में भी अनियमितता किया गया है समस्त भ्रष्टाचार में संजीव झा कलेक्टर कोरबा के साथ, श्री नूतन कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा व श्री भरोसाराम ठाकुर परियोजना अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की अहम् भूमिका रही है मेरे द्वारा आपको इस भ्रष्टाचार की जाँच के संबंध में पूर्व में भी आपको शिकायत पत्र □ेकर अवगत कराया गया था लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

अतः आपसे अपेक्षा है की श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा के कार्यकाल वर्ष 2022-23 व 2023-24 में हुए भारी भ्रष्टाचार की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से करने पर अरबो रुपये का भ्रष्टाचार सामने आयेगा जिसमे कई सफे□ पोसक □ाग□ार नेता की असली चहेरा जनता के सामने आयेगा इसलिए उचित जाँच कराकर □ोषियों पर कड़ी कार्यवाही कराना चाहेंगे ।

सादर

प्रति,

माननीय श्री अमित शाह जी
केन्द्रीय गृह मंत्री
भारत सरकार (नई □िल्ली)

(ननकी राम कंवर)

ननकी राम कंवर
पूर्व गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

दिनांक : 09/12/2024

क्रमांक रामपुर/2024/543

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री रेड्डी साहब

विषय: श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा द्वारा अपने कार्यकाल में कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास म अरबो रुपये का किये गए घोटाला व मनरेगा योजना जैसे केंीय म में करोडो का घोटाला की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से कराने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तार्गत लेख है की श्री संजीव कुमार झा कोरबा जिले में िनांक 01/07/2022 से 31/07/2023 तक पस्त रहे है इनके कार्यकाल में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में जिला खनिज संस्थान न्यास में शासी परिस की बैठक में अनुमोित कार्य के विरुद्ध जाकर भ्रष्टाचार करने की नियत से कांग्रेस से जुड़े विधायक और उनके कार्यकर्ताओ से मिलकर कमीशन लेकर मन मौजे कार्य को स्वीकृति ी गई है स्वीकृत किये गए कार्य में अधिकतर कार्य को बैठक में अनुमोन नहीं लिया गया और केवल कागज में ही कार्य स्वीकृति कर अरबो रुपये की राशी का बंर बाट किया गया है । अनुमोन सूची भी गायब कर फर्जी अनुमोन सूचि भी तैयार किया गया जिनमे शासी परिस के बैठक में उपस्थित सस्यों का हस्ताक्षर भी नहीं है सामग्री सप्लाई, प्रशिक्षण, स्ट्रीट लाईट और महिला समितियों को प्रत सामग्री, शिक्षा विभाग, स्वस्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग के कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है पोड़ी उपरोड़ा और कटघोरा व पाली ब्लाक में विभिन्न विभाग से इनके कार्यकाल में अरबो का कार्य भ्रष्टाचार के नियत से कार्य स्वीकृत किया गया । करतला व कोरबा ब्लाक में 3 से 4 करोड़ का ही केवल कार्य स्वीकृत किया गया इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ।

इसी तरह कोरबा जिले में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण और सामग्री सप्लाई में भी अनियमितता किया गया है समस्त भ्रष्टाचार में संजीव झा कलेक्टर कोरबा के साथ, श्री नूतन कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा व श्री भरोसाराम ठाकुर परियोजना अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की अहम् भूमिका रही है मेरे द्वारा आपको इस भ्रष्टाचार की जाँच के संबंध में पूर्व में भी आपको शिकायत पत्र ेकर अवगत कराया गया था लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

अतः आपसे अपेक्षा है की श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा के कार्यकाल वर्ष 2022-23 व 2023-24 में हुए भारी भ्रष्टाचार की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से करने पर अरबो रुपये का भ्रष्टाचार सामने आयेगा जिसमे कई सफे पोसक गार नेता की असली चेहरा जनता के सामने आयेगा इसलिए उचित जाँच कराकर ोषियों पर कड़ी कार्यवाही कराना चाहेंगे ।

सादर

(ननकी राम कंवर)

माननीय श्री जी.किशन रेड्डी जी
केंद्रीय मंत्री (कोयला एवं खान)
भारत सरकार (नई िल्ली)

Office of the
Minister of Coal & Mines
Government of India
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

10/12/2024

ननकी राम कंवर
पूर्व गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कारेबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक रामपुर/2024/542

दिनांक : 09/12/2024

प्रति,

निदेशक
प्रवर्तन निर्देशालय (नई दिल्ली)

विषय: श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा द्वारा अपने कार्यकाल में कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास मद अरबो रुपये का किये गए घोटाला व मनरेगा योजना जैसे केंदीय मद में करोडो का घोटाला की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से कराने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तार्गत लेख है की श्री संजीव कुमार झा कोरबा जिले में दिनांक 01/07/2022 से 31/07/2023 तक पदस्त रहे है इनके कार्यकाल में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में जिला खनिज संस्थान न्यास में शासी परिसद की बैठक में अनुमोदित कार्य के विरुद्ध जाकर भ्रष्टाचार करने की नियत से कांग्रेस से जुड़े विधायक और उनके कार्यकर्ताओ से मिलकर कमीशन लेकर मन मौजे कार्य को स्वीकृति दी गई है स्वीकृत किये गए कार्य में अधिकतर कार्य को बैठक में अनुमोदन नहीं लिया गया और केवल कागज में ही कार्य स्वीकृति कर अरबो रुपये की राशी का बंदर बाट किया गया है । अनुमोदन सूची भी गायब कर फर्जी अनुमोदन सूचि भी तैयार किया गया जिनमे शासी परिसद के बैठक में उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर भी नहीं है सामग्री सप्लाई, प्रक्षिक्षण, स्ट्रीट लाईट और महिला समितियों को प्रदत सामग्री, शिक्षा विभाग, स्वस्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग के कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है पोड़ी उपरोड़ा और कटघोरा व पाली ब्लाक में विभिन्न विभाग से इनके कार्यकाल में अरबो का कार्य भ्रष्टाचार के नियत से कार्य स्वीकृत किया गया । करतला व कोरबा ब्लाक में 3 से 4 करोड़ का ही केवल कार्य स्वीकृत किया गया इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ।

इसी तरह कोरबा जिले में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण और सामग्री सप्लाई में भी अनियमितता किया गया है समस्त भ्रष्टाचार में संजीव झा कलेक्टर कोरबा के साथ, श्री नूतन कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा व श्री भरोसाराम ठाकुर परियोजना अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की अहम् भूमिका रही है मेरे द्वारा केंद्र सरकार को इस भ्रष्टाचार की जाँच के संबंध में पूर्व में भी शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया था लेकिन आज तक इनके कार्यकाल की जाँच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

अतः आपसे अपेक्षा है की श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा के कार्यकाल वर्ष 2022-23 व 2023-24 में हुए भारी भ्रष्टाचार की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से करने पर अरबो रुपये का भ्रष्टाचार सामने आयेगा जिसमे कई सफ़ेद पोसक दागदार नेता की असली चहेरा जनता के सामने आयेगा इसलिए उचित जाँच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही कराना चाहेंगे ।

(ननकी राम कंवर)

प्राप्त किया
11 DEC 2024

...की राम कंवर
...जेल एवं सहकारिता मंत्री
पूर्व विधायक
विधानसभा क्षेत्र, रामपुर (20)
छत्तीसगढ़ शासन
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधानसभा
सत्यमेव जयते

निवास -
धनवार पारा, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा,
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
मो. नंबर - 7999374417, 9993128383
Email :nankiramkanvar@gmail.com

क्रमांक रामपुर/2024/541 **दिनांक :** 09/12/2024

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली
11 DEC 2024
प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग

प्रति,

निदेशक
केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (नई दिल्ली)

विषय: श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा द्वारा अपने कार्यकाल में कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास मद अरबो रुपये का किये गए घोटाला व मनरेगा योजना जैसे केंदीय मद में करोडो का घोटाला की जाँच केंद्रीय जाँच एर्जेसी से कराने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तार्गत लेख है की श्री संजीव कुमार झा कोरबा जिले में दिनांक 01/07/2022 से 31/07/2023 तक पदस्त रहे है इनके कार्यकाल में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में जिला खनिज संस्थान न्यास में शासी परिसद की बैठक में अनुमोदित कार्य के विरुद्ध जाकर भ्रष्टाचार करने की नियत से कांग्रेस से जुड़े विधायक और उनके कार्यकर्ताओ से मिलकर कमीशन लेकर मन मौजे कार्य को स्वीकृति दी गई है स्वीकृत किये गए कार्य में अधिकतर कार्य को बैठक में अनुमोदन नहीं लिया गया और केवल कागज में ही कार्य स्वीकृति कर अरबो रुपये की राशी का बंदर बाट किया गया है । अनुमोदन सूची भी गायब कर फर्जी अनुमोदन सूचि भी तैयार किया गया जिनमे शासी परिसद के बैठक में उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर भी नहीं है सामग्री सप्लाई, प्रक्षिक्षण, स्ट्रीट लाईट और महिला समितियों को प्रदत सामग्री, शिक्षा विभाग, स्वस्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग के कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है पोड़ी उपरोड़ा और कटघोरा व पाली ब्लाक में विभिन्न विभाग से इनके कार्यकाल में अरबो का कार्य भ्रष्टाचार के नियत से कार्य स्वीकृत किया गया । करतला व कोरबा ब्लाक में 3 से 4 करोड़ का ही केवल कार्य स्वीकृत किया गया इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ।

इसी तरह कोरबा जिले में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण और सामग्री सप्लाई में भी अनियमितता किया गया है समस्त भ्रष्टाचार में संजीव झा कलेक्टर कोरबा के साथ, श्री नूतन कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा व श्री भरोसाराम ठाकुर परियोजना अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की अहम् भूमिका रही है मेरे द्वारा केंद्र सरकार को इस भ्रष्टाचार की जाँच के संबंध में पूर्व में भी शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया था लेकिन आज तक इनके कार्यकाल की जाँच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

अतः आपसे अपेक्षा है की श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर कोरबा के कार्यकाल वर्ष 2022-23 व 2023-24 में हुए भारी भ्रष्टाचार की जाँच केंद्रीय जाँच एर्जेसी से करने पर अरबो रुपये का भ्रष्टाचार सामने आयेगा जिसमे कई सफ़ेद पोसक दागदार नेता की असली चहेरा जनता के सामने आयेगा इसलिए उचित जाँच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही कराना चाहेंगे ।

(ननकी राम कंवर)